NIC

कार्यालय नगर पालिका परिषद, अतर्रा(बांदा)

पत्रांक– 405/ न0पा0परि0अतर्रा/2018–19

दिनाक– 21, अप्रैल,2018

ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिका परिषद, अतर्रा द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी आपर्ति बावत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ई–प्रिक्योर्मेण्ट निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/ संस्था उक्त उक्त निविदायें में प्रतिभाग कर सकता हैं।

कार्यो की निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	21.04.2018 सायं 05 बजे से 30.04.2018 सायं 05 बजे तक
निविदा हेतु अर्नेस्टमनी, निविदा शुल्क एंव निविदा की मूल प्रति कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि	01.05.2018, अपरान्ह्य 12:30 तक
कार्यो की निविदा खेलने की अन्तिम तिथि	01.05.2018, सायं 04 बजे तक

क्र0	आपूर्ति हेतु कर्मचारी	दरे प्रतिमाह/प्रतिदिन	जमानत राशि	टेण्डर मूल्य बिक्रीकर सहित	संचालन अवधि
1	कम्प्यूटर आपरेटर (स्नातक एंव कम्प्यूटर में PGDCA /समकक्ष डिप्लोमा तथा 5वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य)	18000/–प्रतिमाह	01 लाख	2000.00	02.05.2018 से 31.03.2019 तक
2	सहायक कम्प्यूटर आपरेटर (12वी पास तथा 01 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य)	13000/–प्रतिमाह			
3	विद्युत कर्मी/लाइन मैन (विद्युत कार्य का अनुभव अनिवार्य)	10000/–प्रतिमाह			
4	ड्राइवर (JCB/ट्रक/वैकोलोडर एंव हल्के वाहन हेतु) (हैवी एंव हल्के वाहन ड्राईविंग लाइसेन्स व कार्य अनुभव अनिवार्य)	12000/–प्रतिमाह			
5	ट्रक्टर ड्राइवर/लोडर ड्राइवर	8100/–प्रतिमाह			
6	सफाई कर्मी	250/–प्रतिदिन			

निविदा की शर्ते :–

1 सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी और स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2 सेवा प्रदाता संस्था द्वारा ई–निविदा के माध्यम से निर्धारित तिथि तक अपलोडिंग करना होगा तथा धरोहर धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0 अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद, अतर्रा के पक्ष में तैयार कराकर तकनीकी बिडें के साथ मूल रूप से जमा करना होगा। छायाप्रति मान्य नहीं होगी।

3 सेवा प्रदाता संस्था को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के प्राविधानों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी+ई0पी0एफ0 '+जी0एस0टी0 सहित सेवा प्रदाता संस्था द्वारा चार्ज की जाने वाली धनराशि को सम्मिलित करते हुए एक मुश्त भुगतान नगर पालिका परिषद, अतर्रा द्वारा किया जायेगा। न्यूनतम दरों से नीचे उपलब्ध कराई गई निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी। आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

4 सेवा प्रदाता संस्था द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के प्राविधानों के अनुसार उप श्रम आयुक्त द्वारा सूचित मजदूरी का भुगतान अपने कर्मियों को करना होगा। इसके अतिरिक्त ई0पी0एफ0+जी0एस0टी0 एंव अन्य करों का समस्त भुगतान सेवा प्रदाता संस्था को करना होगा तथा भुगतान के फलस्वरूप इन विभागों से प्राप्त जमा रसीदें कार्यालय में अगले भुगतान से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

5 कर्मियों को अवकाश देने से पूर्व उनके स्थान पर किसी को लगाने की व्यवस्था सेवा प्रदाता संस्था को करनी होगी। कर्मियों द्वारा कार्य अवधि में लापरवाही/ अनुशासनहीनता वरती जाती है, तो पालिका प्रशासन द्वारा सूचित करने पर उनके स्थान पर तत्काल दूसरे कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराना होगा।

6 सेवा प्रदाता संस्था को पैन कार्ड ई0पी0एफ0, श्रम विभाग अधिष्ठान के रजिस्ट्रेशन, जी0एस0टी0 पंजीयन प्रमाण पत्र, 10लाख की हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7 एक से अधिक निविदा समरूप होने पर सेवा प्रदाता संस्था का पैनल बना दिया जायेगा और आवश्यकतानुसार सेवायें पैनल के सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से आवश्यकतानुसार समय–समय पर ली जाती रहेगी।

8 सेवा प्रदाता संस्था द्वारा विश्वविद्यालय/निगमों/प्राधिकरणों/सरकारी संस्थाओं में उपलब्ध करायी गयी सेवाओं के आधार पर वरीयता प्रदान की जायेगी।

9 दरों के स्वीकृति उपरान्त पदों की संख्या आवश्यकतानुसार निर्धारित की जायेगी।

10 कार्मिकों के लिए दी जाने वाली धनराशि में से सेवा प्रदाता द्वारा कोई कटौती नहीं की जायेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो सेवा प्रदाता की सेवायें समाप्त कर दी जायेगी तथा नगर पालिका परिषद, अतर्रा में सेवा प्रदाता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा। सर्विस चार्जेस आदि का भुगतान विभाग द्वारा मासिक बिल के साथ किया जायेगा।

11 सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा कम से कम दो इमीडिएटली प्रिंसेडिंग वर्षों की आर्डिटेड बैलेन्स शीट दिया जाना अनिवार्य होगा।

12 सेवा प्रदाता का टर्न ओवर कम से कम 01 करोड रूपय प्रतिवर्ष होना अनिवार्य होगा।

13 कम्पनी द्वारा किसी नगर निकाय या अन्य विभाग में काली सूची में न होने का प्रमाण रू0 100 रू0 के हलफनामें के रूप में दिया जायेगा।

14 सेवा प्रदाता संस्था द्वारा निविदा के किसी भी शर्तों के उल्लंघन करने पर उनके द्वारा जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए सेवा प्रदाता संस्था का अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।

15 सशर्त निविदा स्वीकार नहीं होगी, प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार कर दिया जायेगा।

16 सेवा प्रदाता निकाय स्टाफ स्ट्रेन्थ, योग्यता एवं अनुभव जहां–जहां कार्य किया हो की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जानी होगी।

17 एक या सभी निविदा की आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषदा, बांदा के पास सुरक्षित होगा किसी विवाद के संदर्भ में मा0 अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अतर्रा का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

18 किसी भी सेवा प्रदाता संस्था का चयन होने के पश्चात उससे एक वर्ष का सशर्त अनुबन्ध के पश्चात कार्यादेश जारी किया जायेगा।

19 किसी भी प्रकार के मतभेद का निपटारा सिविल कोर्ट, अतर्रा के कार्यक्षेत्र में निस्तारित होगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, अतर्रा

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, अतर्रा

पत्रांक– 405(III) न0पा0परि0अतर्रा/2018–19

दिंनाक– 21, अप्रैल,2018

प्रतिलिपि :–

1 जिलाधिकारी, महोदय बांदा को सादर सूचनार्थ

2 प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, बांदा को सादर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बांदा को उक्त सूचना की एक साफ्ट कापी इस आश्य से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना की एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

4 सम्पादक दैनिक जागरण झांसी को मु0-10000=00 (दस हजार) पर रूकवाए प्रकाशनार्थ को इस आशय से प्रेषित की उक्त निविदाओं का प्रकाशन आगामी अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशित करनें का कष्ट करें।

5 सम्पादक दैनिक नव कर्मयुग को मु0-6000=00 (छः हजार) पर रूकवाए प्रकाशनार्थ को इस आशय से प्रेषित की उक्त निविदाओं का प्रकाशन आगामी अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशित करनें का कष्ट करें ।

6 कम्प्यूटर आपरेटर नगर पालिका अतर्रा को इस आशय के साथ कि नगर पालिका परिषद, अतर्रा की वेबसाईट में उक्त सूचना अपलोट करने हेतु।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, अतर्रा
21/4/18

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, अतर्रा